

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव, शाला संचालन समिति  
स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाङ्फनगर,  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़**

**-:: आदेश ::-**

बलरामपुर, दिनांक 05/10/2023

क्रमांक / स्थान-2 / SAGES / संविदा भर्ती / ....677/2023-24, :: स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजनान्तर्गत जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन समिति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित "विज्ञापन" क्रमांक 1647, दिनांक 13.04.2023 एवं दिनांक 06/06/2023 को अंतिम चयन-सूची जारी कर प्रतीक्षा सूची के आधार पर स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्च.माध्य.विद्यालय वाङ्फनगर, विकासखण्ड-वाङ्फनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में संचालन समिति द्वारा संविदा नियुक्ति एतद्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन की गई है : -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	स्थायी पता	आरक्षणवार पदों की संख्या	पदनाम/विषय	संविदा मानदेय
1	2	3	4	5	6	7	8
01	बेबी कुमारी	श्री रामउग्रह जायसवाल	सामान्य	ग्राम गिरवानी पोस्ट पंडडी थाना रघुनाथनगर	01 अनारक्षित मुक्त	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	22400/-

**यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-**

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद/नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा संरक्षा में कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेज के साथ स्व-प्रमाणित दस्तावेज की एक एक प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों को पदाक्रित संरक्षा में दिनांक 10/10/2023 सायं 5:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण माह के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
6. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा और ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
7. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा। तीन वर्ष की कालावधि के दौरान अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एक माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
8. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर जारी आदेश लागू होंगे।
9. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
10. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्ण कालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।
11. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

क्रमांक: 02 पर .....

12. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी रवारथ्य प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति रवारथ्य समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृष्ठक से आदेश जारी नहीं किया जूँयेगा।
14. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को संविदा सेवा की अवधि के लिए किरी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भविष्य में नियुक्ति के संबंध में पारित किरी भी निर्णय के अधीन होगा।
16. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित परिशिष्ट-एक (अनुप्रमाणन फार्म) में समस्त वांछित पूर्तिया उपरांत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में विपरीत अभ्युक्ति पाई जावेगी तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
18. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
19. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।
20. संविदा नियुक्ति के अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी (विज्ञापन में अंकित क्र.क्र. 08 के उप क्र. 14 के अनुसार)।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव, शाला संचालन समिति  
स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाइफनगर  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

बलरामपुर दिनांक 05/10/2023

पृष्ठा 0 क्रमांक / स्था 0-2 / SAGES / संविदा भर्ती / 678 / 2023-24,

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छ0ग0 इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
7. मुख्य विकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सूचनार्थ।
8. प्राचार्य, स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम), उच्च.माध्य.विद्यालय वाइफनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित बैबी जायसवाल पिता/पति श्री रामउग्रह जायसवाल, ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम) स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्च.माध्य.विद्यालय वाइफनगर को पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव, शाला संचालन समिति  
स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाइफनगर  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़